07/05/2026
2220
CE (P)/ Dehradun

मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि०

संख्या: 393045/III(2)/2026-ई0- 49305/2023

प्रेषक,

रंजन कुवीरा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक : 06 मई, 2026

CE Dehradun
SSO(P)-I

विषय:- **FOR CONSTRUCTION WORK OF ROAD WITH DBM, BC AND INTERLOCKING TILES IN AAKRITI VIHAR, POST OFFICE ROAD, TIBETAN COLONY, LANE-5, LANE-03, AND LANE-17, UNDER THE ASSEMBLY DHARMPUR, DISTRICT DEHRADUN AT RAIPUR, DISTT. DEHRADUN (EDPR) (Project Id 5799)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई0डी0पी0आर0 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आगणन के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त पायी गयी निम्नलिखित कमियों का निराकरण कर आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

EE(PH)
14/5

1. विषयगत आगणन में मार्ग के लेन नं0 3, 5 एवं 17 में पूरी लम्बाई में 750 एम0एम0 क्पंए 851.77 रनिंग मी0 Hume Pipe का प्राविधान किया गया है परन्तु इसका औचित्य, L-Section एवं ड्रेनेज प्लान संलग्न नहीं किया गया है।

2. आकृति विहार में पूर्व निर्मित सी0सी0 मार्ग की डिसमेन्टलिंग के पश्चात् मार्ग में जी0एस0बी0, जी-2, जी-3 एवं इण्टरलॉकिंग टाईल का प्राविधान किया गया है। किये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग का एफ0आर0एल0, वर्तमान एफ0आर0एल0 से लगभग 35 से0मी0 ऊपर हो जाता है। अतः पूर्व निर्मित सी0सी0 मार्ग के डिसमेन्टलिंग के स्थान पर इसको रिपेयर कर इसके ऊपर इण्टरलॉकिंग टाईल प्राविधानित किये जाने पर विचार किया जाये।

3. तिब्बती कॉलोनी में मार्ग की पूर्ण लम्बाई में 7.50 से0मी0 गहराई में Flexible Pavement की Dismantling का प्राविधान किया गया है तथा पुनः 5 से0मी0 डी0बी0एम0 एवं 3 से0मी0 बी0सी0 का प्राविधान किया गया है। विषयगत मार्ग पर 7.50 से0मी0 गहराई में Flexible Pavement की डिसमेन्टलिंग उचित प्रतीत नहीं होती है। मात्र बियरिंग कोट की (2.50/ 3 से0मी0) गहराई में डिसमेन्टलिंग कर पुनः बी0सी0 प्राविधानित की जानी उचित प्रतीत होती है।

4. आकृति विहार के मार्गों की चौड़ाई 4.10 से 5.20 मी0 तथा तिब्बती कॉलोनी के मार्गों की चौड़ाई 3.40 से 4.00 मी0 अवगत करायी गयी है परन्तु आकृति विहार में सी0सी0 इण्टरलॉकिंग का प्राविधानित किया गया है। जबकि तिब्बती कॉलोनी में डी0बी0एम0 बी0सी0 का प्राविधान किया गया है। इसका औचित्य उपलब्ध कराया जाये।

5. आगणन में विभिन्न मार्गों के 544.79 घन मी0 सी0सी0 डिसमेन्टलिंग का प्राविधान किया गया है। मितव्ययता के दृष्टिगत डिसमेन्टलिंग सी0सी0 को जी0एस0बी0 के आयामों में तोड़ कर जी0एस0बी0 के

Scanned with OKEN Scanner

रूप में प्रयुक्त किये जा सकने पर विचार किया जाये।

6. आगणन में 4276 घन मी0 मिट्टी का खुदान प्राविधानित है। इस भारी मात्रा के खुदान की शहरी भाग में अन्यत्र उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाये ताकि कार्य कराने समय मार्ग की मिट्टी के डिस्पोजल के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

7. आगणन में संलग्न नगर निगम की अनापत्ति की वैधता 22.12.2024 को समाप्त हो गयी है। अतः नगर निगम से अनापत्ति पुनः प्राप्त जाये।

भवदीय,

Digitally signed by
Ranjan Kweera
Date: 05-05-2026
16:13:08

(रंजन कुवीरा)
अनु सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,
अनु सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

UTTARAKHAND

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd *E-mail: p1hodpwduk@gmail.com*

पत्रांक– 555/20याता०'क'(वित्तीय स्वीकृति)नियो०– I/2026, दिनांक– 16 /मई/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 09 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, CD खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय,लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

16/5/26

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner